

20.05.2025 वकील पार्थो अनुपस्थित / चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र अग्रे चलाने का औचित्य नहीं है। बिट्टाजा पार्थो का आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतस